For immediate release

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सुरक्षित दूध और दुग्ध उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन तैनात करने का निर्देश दिया

प्रेस विज्ञप्ति

नई दिल्ली, मार्च **4, 2023**:

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को होली के आगामी त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए दूध और दूध उत्पादों में मिलावट की जांच करने के लिए खाद्य सुरक्षा ऑन व्हील्स (FSW) मोबाइल खाद्य परीक्षण वैन तैनात करने का निर्देश दिया है। खाद्य प्राधिकरण ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त से अनुरोध किया है कि वे दूध में मिलावट के खिलाफ सतर्कता को कड़ा करने के लिए दैनिक आधार पर प्रति FSW दूध और दूध उत्पादों के कम से कम 10 नमूनों का परीक्षण करें।

FSSAI उपभोक्ताओं को उनके निकटतम तैनात FSWs के माध्यम से अपने दूध और दुग्ध उत्पादों का परीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। परीक्षण निःशुल्क किया जा सकता है। इस पूरी कवायद का लक्ष्य देश के उपभोक्ताओं को सुरक्षित और शुद्ध दूध और दुग्ध उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

वर्तमान में, दूध और दूध उत्पादों सहित विभिन्न खाद्य उत्पादों के लिए मौके पर खाद्य परीक्षण करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास 168 खाद्य सुरक्षा ऑन व्हील्स (FSW)उपलब्ध हैं। FSWs में स्थापित मिल्क-ओ-स्क्रीन सिस्टम के माध्यम से वसा, सॉलिड-नॉट-फैट, प्रोटीन, मिलावट जैसे अतिरिक्त पानी, यूरिया, सुक्रोज, माल्टोडेक्सटेरिन और अमोनियम सल्फेट के लिए परीक्षण किया जा सकता है।